BASSI WS 18

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 29, 1988

संख्या प. 11 (41) राज.8186:—यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे सलंग्न उपबन्ध में परिनिश्चित क्षेत्र का उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण प्रसारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थितिक प्राणी जातीय, वनस्पति, भू-संरक्षण तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजना और महत्व के कारण वन्य जीव अभयारण्य के रूप में गठित करने की आवश्यकता है ।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में बस्सी अभयारण्य के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची

क्र. सं.	क्षेत्र	नाम तहसील	जिला	सीमाएं	विशेष विवरण
1	वन्य जीव अभया.	बेगूं	चित्तौड़गढ़	उत्तर—ग्राम पारसोली, भींचोर, नाहरगढ़, गणेशगंज, फतहपुरा की सीमाओं में वनखंड भींचोर, बड़ा मगरा, कोठा की उत्तरी सीमा ।	
				पूर्व —ग्राम नाल, देवरिया, मुरोली, शोपुरा, घनश्यामपुरा, नन्दवास, उमर का खाल, साथ भींचोर, नन्दवास, ग्राममरिया वन खंडों की पूर्वी सीमा ।	
				दक्षिण—मध्य प्रदेश की सीमा ग्राम बूसरिया, केवड़िया, सूरतसिंह जी का खेड़ा, मुंगड़िया, वन खंड जालेश्वर, राजपुरिया, मुंगड़िया की सीमा—सीमा । राजपुरिया कम्पार्टमेन्ट नम्बर 1, 2 की बीच की सीमा-सीमा मुंगड़िया घाटी के नीचे बस्सी विजयपुर सड़क की पुलिया नं. 811 ।	
				पश्चिम—बस्सी विजयपुर सड़क पुलिया नं. 811 से सड़क ग्राम केलझर के पास वन खंड जालेश्वर की पश्चिमी सीमा सीमा । ग्राम सिंयालिया की सीमा में ब्लोक का मिनारा नं. 711 तथा वहां से बून्दी सड़क वन खंड नीमघटी के मिनारा नं. 55 तक इसके आगे वन खंड नीमघटी नंदवास, भींचोर, बड़ा मगरा, कोठा की सीमा—सीमा । पारसोली फोरेस्ट नाके तक ।	

नोट :—उक्त सीमाओं के बीच पड़ने वाला राजस्व क्षेत्र अभयारण्य में शामिल नहीं रहेगा ।

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 20, 1988

संख्या एफ. 2 (7) राजस्व/ग्रुप-8188:—चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, 1553 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है ।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	धनराज पुत्र हनुमान कौम कुम्हार सा. किकरवाली गैर खातेदार	8 / पी.एस.	68	174 / 280	14	–	3	–	–	–	3	बारानी
					15	–	5	–	–	–	5	"
					17	–	2	–	–	–	2	"
					18	–	5	–	–	–	5	"
					19	–	5	–	–	–	3	"
					20	–	3	–	–	–	3	"
					21	–	2	–	–	–	2	
						1	5	–	–	–	5	
15.	मालाराम पुत्र हनुमान कौम कुम्हार सा. किकरवाली गैर खातेदार, खाता नं. 84		65	173 / 280	5	–	2	–	–	–	2	बारानी
					6	–	3	–	–	–	3	"
					7	–	5	–	–	–	5	"
					8	–	5	–	–	–	5	"
						–	14	–	–	–	15	
16.	[illegible] कौम कुम्हार सा. किकरवाली गैर खातेदार खाता नं. 31		65	172 / 279	23	–	3	–	–	–	3	
					24	–	4	–	–	–	4	"
					[illegible]	–	5	–	–	–	[illegible]	
						–	12	–	–	–	12	
17.	[illegible] कौम कुम्हार सा. किकरवाली		70	172 / 280	1	–	2	–	–	–	2	बारानी
					2	–	5	–	–	–	5	"
					3	–	5	–	–	–	5	"
					4	–	1	–	–	–	1	"
						–	13	–	–	–	13	
18	कासीराम पुत्र धनीराम कौम कुम्हार सा. किकरवाली गैर खातेदार खाता नं. 80		74	177 / 281	15	–	4	–	–	–	4	बारानी
					18	–	5	–	–	–	5	"
					19	–	5	–	–	–	5	"
					20	–	3	–	–	–	3	"
					21	–	2	–	–	–	2	"
						–	19	–	–	–	19	
						7	10	–	–	7	10	
	कुल योग चक 8 पी. एस. की भूमि											
19.	नन्दराम पुत्र कालूराम कौम कुम्हार 25 हिस्सा, कानाराम, दाना पमरचन्द पि. कुम्मा व हिस्सा बराबर खातेदार	7 / पी.एस.	63	171 / 279	1	–	5	–	–	–	5	बारानी
					2	–	5	–	–	–	5	"
						–	10	–	–	–	10	
						–	10	–	–	–	10	
	कुल योग					8	10	–	–	8	10	
	[illegible]					7	10	–	–	7	10	
	[illegible]					–	10	–	–	–	10	
	[illegible]					16	10	–	–	16	10	

एस. एन. [illegible],
उप सचिव (वर्क्स),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन व [illegible])
राजस्थान, जयपुर।